

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Appeal Case No.- 115 /2022]

Sheetal SahAppellant

Versus

Asharfi Sah & OthersRespondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date												
1	2	3	4												
	21-11-2025	आदेश यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, त्रिवेणीगंज (सुपौल) द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-05/2021-22 में दिनांक-09.6.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>अंचल</th><th>मौजा</th><th>खाता संख्या</th><th>खेसरा संख्या</th><th>रकबा</th><th>चौहद्दी</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>छातापुर</td><td>चैनपुर</td><td>21</td><td>395</td><td>0-0-15 धूर</td><td>उ0-अरुणा देवी द0-सत्य ना. साह पू0-पक्की सड़क SH प0-वादी शीतल साह</td></tr> </tbody> </table> दिनांक-08.11.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी का दावा है कि प्रश्नगत जमीन उनके द्वारा निबंधित केवाला से क्रय किया गया, जिसके उपरांत उनका जमाबंदी संख्या-1515 कायम है। तथा यह कि प्रश्नगत जमीन उनके शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है। जबकि विपक्षीगण का कहना है कि अपीलार्थी का दावा सही नहीं है चुकी उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन के Title/Right Holder के बजाए अन्य से निबंधित केवाला कराया गया है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों, वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि उभय पक्ष निबंधित केवाला/जमाबंदी के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर अपना-अपना दावा कर रहे हैं। कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलार्थी के प्रश्नगत जमीन के विक्रेता अरुणा देवी द्वारा अपने भैसुर की जमाबंदी की जमीन का विक्रय किया गया है। तथा यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनके द्वारा बिक्री की गई जमीन उनके विधिमान्य हिस्से की थी अथवा नहीं। Indian Succession Act के प्रावधानों के आलोक में बिक्री करने वाले व्यक्ति का Title/Right का निर्धारण किये बिना क्रय करने वाले व्यक्ति का Title/Right विवेचना किया जाना संभव नहीं है। अतः इस विवाद का निराकरण सक्षम न्यायालय (Civil Court) के समक्ष Title Suit में ही हो सकता है। निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्ता, त्रिवेणीगंज, सुपौल) के स्तर से संगत कानूनी बिन्दुओं की समीक्षा करते हुए अपीलाधीन आदेश (09.6.2022) पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः निम्न न्यायालय को संपुष्ट करते हुए आदेश दिया जाता है कि सक्षम न्यायालय (Civil Court) के स्तर से Title निर्धारित होने तक Status quo (राजस्व अभिलेख तथा सरजमीन पर) Maintain किया जाए। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजे। लेखापित एवं शुद्धित। Ryk. 21/11/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। Ryk. 21/11/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	अंचल	मौजा	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	चौहद्दी	छातापुर	चैनपुर	21	395	0-0-15 धूर	उ0-अरुणा देवी द0-सत्य ना. साह पू0-पक्की सड़क SH प0-वादी शीतल साह	
अंचल	मौजा	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	चौहद्दी										
छातापुर	चैनपुर	21	395	0-0-15 धूर	उ0-अरुणा देवी द0-सत्य ना. साह पू0-पक्की सड़क SH प0-वादी शीतल साह										